website upload

:: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) ::

(दूरभाष क0 कार्यालय – 07325 – 254321)

कमांक क/वा0 1/2017/ 1961 बुरहानपुर, दिनांक 18/7/17

प्रति,

सहायक संचालक (विज्ञापन),
जनसम्पर्क संचालनालय,
म0प्र0 भोपाल ।

विषय :– म0प्र0 शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत् ।

———0———

जिला बुरहानपुर के कोदीरी बैराज योजना हेतु ग्राम कोदरी तहसील एवं जिला बुरहानपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 94, 99 पैकि रकबा 0.12 हे0, 0.13 हे0 एवं ग्राम शाहपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 1692 पैकि रकबा 0.287 हे0 कुल रकबा 0.537 हैक्टर भूमि का आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त आपसी सहमति से कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । उक्त सार्वजनिक सूचना की दस प्रतियॉ संलग्न हैं ।

अतः उक्त सार्वजनिक सूचना का एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे ।

अनुविभागीय अधिकारी,
बुरहानपुर म0प्र0

पृ0क0 क/वा0 1/2017/ 1962 बुरहानपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– तहसीलदार, बुरहानपुर की ओर सार्वजनिक सूचना की 8 प्रतियॉ भेजकर लेख्य है कि एक–एक प्रति निम्न स्थलों पर चस्पा करवाकर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिल के मय अपने प्रमाणीकरण के साथ एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाये ।

1– कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
2– उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
3– तहसील कार्यालय बुरहानपुर के नोटिस बोर्ड पर
4– मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत शाहपुर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
5– कय की जा रही भूमि/स्थल पर ।

प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, बुरहानपुर की ओर सार्वजनिक सूचना के जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी,
बुरहानपुर म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उप–सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कमांक क / .... / भू–अर्जन / वा0 1 / 2014–15 / बुरहानपुर, दिनांक 18/7/17

सार्वजनिक सूचना
(अन्तार्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बुरहानपुर के कोदरी बैराज योजना हेतु ग्राम कोदरी एवं शाहपुर तहसील एवं जिला बुरहानपुर के खाताधाकर की की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क0 एफ0 12–2 / 2014 / सात / 2ए / भोपाल, दिनांक 12–11–2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

स0 क0	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)			परिसम्पतित का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	नागो पिता ओंकार, ओंकार पिता भगवान निवासी शाहपुर	94	सिंचित	0	0.12	—
	विष्णु , अरुण , संतोष पिता सदू, यच्छलाबाई, रुखमाबाई, सुशीलाबाई पिता सदू वगैरा	99		असिंचत	0.13	—
		2			0.25	

(दीपक सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर